(130)

कार्यालय मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर
क्रमांक : 5297
दिनांक : 11/12/14

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल– dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org

क्रमांक : DLB/STP/SLC/CILU/14/01 दिनांक : 11-12-2014

अधिसूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू–उपयोग परिवर्तन) नियम 2010 अधिसूचना क्रमांक प.10 (35) नविवि/3/2010 दिनांक 28.10.2010 के नियम 5–ड में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त नियम के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय समिति का एतत्द्वारा निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :–

(अ) विकास प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों के शहरों हेतु सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र के लिए राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति

(1)	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग	अध्यक्ष
(2)	संबंधित संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव नगरीय विकास विभाग	सदस्य
(3)	संबंधित विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास का सचिव	सदस्य
(4)	निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग	सदस्य
(5)	समय–समय पर इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत मुख्य नगर नियोजक/नगर नियोजक (जैसी भी स्थिति हो)	सदस्य सचिव

(ब) विकास प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों के शहरों को छोडकर अन्य शहरों के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्रों हेतु राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति

(1)	प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	अध्यक्ष
(2)	निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग	सदस्य
(3)	संबंधित निकाय (नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम) का मुख्य नगर पालिका अधिकारी	सदस्य
(4)	समय–समय पर इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत मुख्य नगर नियोजक/नगर नियोजक (जैसी भी स्थिति हो)	सदस्य
(5)	निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग में पद स्थापित वरिष्ठतम नगर नियोजक	सदस्य सचिव

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(पुरुषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

ACP (E)
STP (ES)

11/12/14

(311)